न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 78 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.निम्बाराम पुत्र लाधाराम 2. खींयाराम पुत्र लाधाराम 3. सालूराम पुत्र लाधाराम 4. रामाराम पुत्र जेठाराम 5. जीयाराम पुत्र जेठाराम 6. रम्भा पत्नि जेठाराम जाति जाट निवासी महादेवपुरा,कमठाई तहसील सिणधरी		1. रावताराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी महादेवपुरा,कमठाई तहसील सिणधरी 2. प्रबन्धक, एसबीबीजे हाल एसबी आई शाखा सिणधरी 3. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री दलाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 04की ओर से राज.पैरोकार नायब तह. उपस्थित।
4. विप्रार्थी संख्या 02 व 03 एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक–07.09..2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 31 व 32 व 104 कुल क्षेत्रफल 194.02 बीघा भूमि अवस्थित है। जो भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में उनके मुतवफी लाधा व गोमा पिसरान बन्ना से प्राप्त हुई है। वक्त

SDO सिणधरी

टलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 के मुतवफी लाधू, गोमा पिसरान बन्ना के कब्जे काश्त की होने से लाधू, गोमा पि. बन्ना के नाम पर्चा लगान जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तथा गोमा पुत्र बन्ना के जांयदा कोई संतान नहीं थी तथा गोमा पुत्र बन्ना लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया, जिस कारण गोमा पुत्र बन्ना हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस जीवित नहीं था तथा इस कारण गोमा पुत्र बन्ना की मृत्यु के समय द्वितीय श्रेणी के वारिसान में प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 ही जीवित थे, परन्तु गोमा के फौतेदगी पर भूमि के विरासत का ना.क.स. 109 दिनांक 25.01.1983 को पारित किया गया जो ना.क.स. विप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं को मृतक गोमा का फर्जी रूप से वारिस बताते हुए राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करते हुए अपने अकेले के पक्ष में पारित करवा दिया जबकि विप्रार्थी सं. 1 कभी भी मृतक गोमा पुत्र बन्ना के गोद नहीं गया तथा न ही गोमा पुत्र बन्ना ने विप्रार्थी सं. 1 व उसके पिता प्रभू को कभी गोद लिया। वादग्रस्त भूमि में कूटरचित करते हुए पारित उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाते हुए मृतक गोमा के द्वितीय श्रेणी के समस्त वारिसों को सम्मिलित करते हुए प्रार्थी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी करवाई गई थी। अधिवक्ता श्री अमराराम द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थी पक्ष को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जानें के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

3.दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 31 व 32 व 104 कुल क्षेत्रफल 194.02 बीघा भूमि अवस्थित है। जो भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में उनके मुतवफी लाधा व गोमा पिसरान बन्ना से प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 के मुतवफी लाधू, गोमा पिसरान बन्ना के कब्जे काश्त की होने से लाधू, गोमा पि. बन्ना के नाम पर्चा लगान जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तथा गोमा पुत्र बन्ना के जांयदा कोई संतान नहीं थी तथा गोमा पुत्र बन्ना लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया, जिस कारण गोमा पुत्र बन्ना हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस जीवित नहीं था तथा इस कारण गोमा पुत्र बन्ना की मृत्यु के समय द्वितीय श्रेणी के वारिसान में प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 ही जीवित थे, परन्तु गोमा के फौतेदगी पर भूमि के विरासत का ना.क.स. 109 दिनांक 25.01.1983 को पारित किया गया जो ना.क.स. विप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं को मृतक गोमा का फर्जी रूप से वारिस बताते हुए राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करते हुए अपने अकेले के पक्ष में पारित करवा दिया जबकि विप्रार्थी सं. 1 कभी भी मृतक गोमा पुत्र बन्ना के गोद नहीं गया तथा न ही गोमा पुत्र बन्ना ने विप्रार्थी सं. 1 व उसके पिता प्रभू को कभी गोद लिया। वादग्रस्त भूमि में कूटरचित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

रित उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाते हुए मृतक गोमा के द्वितीय श्रेणी के समस्त वारिसों को सम्मिलित करते हुए प्रार्थी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा, प्रार्थी सं. 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। लेकिन वादग्रस्त भूमि में मुतवफी गोमा के हिस्से की भूमि कूटरचित तरीके से विप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने विप्रार्थी संख्या 01 आये दिन प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि में बेदखली करने की फिराक में रहते है और प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि को बेचान करने की धमकिया भी देते रहते है। साथ ही विप्रार्थी संख्या 01 मौके की स्थिति को भी रद्दोबदल करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का घोषणा करवानें हेतु वाद पेश किया गया है। जो अभी वादी साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा है तथा मौका रिपोर्ट तलबी हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावेकि वें राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

4.इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 01 की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 31 वं 32 व 104 कुल क्षेत्रफल 194.02 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन लाने के कारण सफलता मिलनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है,कि प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 01 का विवादित भूमि पर निंविवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है बल्कि प्रार्थी पक्ष द्वारा आये दिन विप्रार्थी संख्या 01 की कब्जा शुदा भूमि में हमेशा दखलदान्जी की जाती है, क्योंकि गोमाराम कभी ला–औलाद नहीं थे, गोमाराम के अविवाहित होने के कथन गलत है। गोमाराम ने अपने जीवनकान में शादी की थे, किंतु शादी के बाद थोड़े समय बाद ही गोमाराम की पन्ति का देहान्त हो गया चूंकि गोमाराम के जायन्दा संतान नहीं थी, इसलिये सामाजिक रीति रिवाज एवं प्रथा रूढियों के अनुसार गोमाराम ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से मुझ विप्रार्थी सं. 1 के पिता प्रभूराम को गोद लिया, गोद की पूर्ण रश्म पाठ बैठाकर गोमाराम ने प्रभूराम के साफा गोद पुत्र की हैसियत से बंधाया तथा गुड़ इत्यादि बांटा जाकर गोद की रश्म पूर्ण की। इस प्रकार प्रभूराम के फौत होने से उनके विरासत की भूमि मुझ विप्रार्थी सं. 1 के नामे दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र विप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से यह आवेदन पेश किया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर पेश किए जाने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 31 व 32 व 104 कुल क्षेत्रफल 194.02 बीघा भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 रिकार्डड सहखातेदारान है। चूंकि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 रिकार्डड सहखातेदार है,और इनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

से भी राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में खुले हुए है, परन्तु विवाद का मुख्य कारण मुतवफी गौमा के फोत होने पर उसके विधिक द्वितीय पक्ष के वारिसान के भूमि को विभक्त करने को लेकर है, जिसका निर्णय मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188,209 रा.का. अधि. में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर किया जा सकेगा। परन्तु दोनों पक्षों के मध्य कब्जा काश्त को लेकर उत्पन्न विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनो पक्षों को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे कि यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान मौका स्थिति में फेरबदल करने पर उतारू होते है अथवा एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है,तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्देनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 को मूलवाद के निर्णय तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि ग्राम महादेवपुरा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 31 व 32 व 104 कुल क्षेत्रफल 194.02 बीघा भूमि के संबध में दोनो पक्ष किसी के कब्जा काश्त में दखलदान्जी नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested